

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 12304

=====

देवेन्द्र तिवारी पुत्र स्वर्गीय राजा राम तिवारी, ग्राम के निवासी- मलकौली, पुलिस स्टेशन-बगहा, जिला- पश्चिम चंपारण

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना के माध्यम से ।
2. निदेशक, जल और भूमि प्रबंधन संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना।
3. अधीक्षण अभियंता, कमान क्षेत्र विकास अंचल, मुजफ्फरपुर।
4. कार्यकारी अभियंता, कमान क्षेत्र विकास प्रभाग, बेतिया।
5. कार्यकारी अभियंता, कमान क्षेत्र विकास एजेंसी, सिवान।

.....प्रतिवादी/गण

=====

उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री रूपक कुमार, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री अंजनी कुमार, ए. ए. जी.-4

=====

सेवा कानून ; याचिकाकर्ता को भुगतान किए गए अतिरिक्त वेतन के कारण याचिकाकर्ता की रोच्युटी राशि से वसूली- याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलत जानकारी नहीं दिया गया, जिसके कारण याचिकाकर्ता को वेतन की कथित अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया यह प्रतिवादी अधिकारियों की लापरवाही थी जिसके कारण वेतन का अधिक भुगतान किया गया था- कानून वसूली के संबंध में अब रेस इंडीगा नहीं-याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त कर दिया गया था और प्रतिवादी यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दिया था, जिससे याचिकाकर्ता को कथित अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया गया था-याचिकाकर्ता के पेंशन बकाया से कोई वसूली नहीं की जा सकती है आक्षेपित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है, इसलिए, याचिकाकर्ता को राशि वापस करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश आक्षेपित आदेश अभिखंडित कर दिया गया-आवेदन अनुज्ञात किया गया ।

(पैरा 6, 8, 10 और 11)

(2009) 3 एस.सी.सी. (1995) अनुपूरक 1 एस.सी.सी. 80; (1994) 2 एस.सी.सी. 52; (1997) 6 एस.सी.सी. 139; (2006) 11 एस.सी.सी. 492; (2000) 10 एस.सी.सी. 99; (2006) 11 एस.सी.सी. 7089??; (1995) अनुपूरक 1 एस.सी.सी. 18; (2015) 4 एससीसी 334 - निर्भर किया गया

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तिथि: 15-01-2024

वर्तमान रिट याचिका कार्यकारी अभियंता, गंडक कमान क्षेत्र विकास प्रभाग, बेतिया द्वारा जारी दिनांक 27.09.2021 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा और जिसके तहत याचिकाकर्ता को कथित रूप से दिए गए अतिरिक्त वेतन के कारण, 25.08.1983 से 31.10.2020 की अवधि के लिए याचिकाकर्ता की उपदान राशि से रु. 6,42,263 की राशि वसूल करने का निर्देश दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता कार्यकारी अभियंता, गंडक क्षेत्र विकास प्रभाग, बगहा, बेतिया के कार्यालय में स्वीकृत रिक्त पदों के खिलाफ दैनिक वेतन पर पत्राचार क्लर्क के रूप में काम कर रहा था, जिसके बाद उसने अन्य लोगों के साथ 1989 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 4587 वाली एक रिट याचिका दायर करके इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को अपनी सेवाओं को नियमित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी, जिसे 18.02.1991 के एक फैसले द्वारा अनुमति दी गई थी, हालांकि, इसे गंडक कमान क्षेत्र विकास प्रभाग द्वारा 1991 के एल. पी. ए. संख्या 32 वाली अपील दायर करके चुनौती दी गई थी, लेकिन इसे दिनांकित 17.02.1993 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसे बदले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 1993 की एस.एल.पी. (दीवानी) संख्या 13250 में चुनौती दी गई थी। फिर भी, इसे दिनांकित 17.09.1993 के आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को तब दिनांकित 07.10.1993 के ज्ञापन के माध्यम से नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाओं को 25.8.1983 से पत्राचार क्लर्क के पद पर नियमित किया गया था।

3. इसके बाद, याचिकाकर्ता और अन्य लोगों की सेवा पुस्तिका खोली गई और याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका, पर पत्राचार क्लर्क के पद पर याचिकाकर्ता की पहली नियुक्ति की तारीख का उल्लेख 25.8.1983 के रूप में किया गया था, जिसके बाद कार्यकारी अभियंता, गंडक कमान क्षेत्र विकास प्रभाग, बेतिया ने प्रतिस्थापन पैमाने में याचिकाकर्ता का वेतन तय किया था और दिनांक 13.08.1999 के पत्र के अनुसरण में दिनांकित 31-12-2001 का कार्यालय आदेश निर्गत कर वर्ष 1983 के बाद से वार्षिक वृद्धि का भुगतान किया था। फिर भी, याचिकाकर्ता को 25.08.1983 से 06.10.1993 की अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने 2010 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 12142 वाली एक रिट याचिका दायर की थी, जिसका निपटान

इस अदालत की एक समन्वित पीठ ने 23.08.2010 के एक आदेश द्वारा किया था, जिसमें जल संसाधन विभाग के सचिव को याचिकाकर्ता को वेतन के भुगतान के लिए आवश्यक धन जारी करने का निर्देश दिया गया था और फिर याचिकाकर्ता को 25.08.1983 से 06.10.1993 की अवधि के लिए वेतन का बकाया भुगतान किया गया था।

4. यह याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने तब 31.10.2020 पर सेवानिवृत्ति ले ली थी, लेकिन उसके बाद, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को एक चौंका वाला दिनांकित 16-09-2021 का पत्र निर्गत कर, उससे अपना जवाब मांगते हुए कहा कि 25.08.1983 से 31.10.2020 की अवधि के लिए भुगतान किए गए अतिरिक्त वेतन के शीर्ष पर उससे रुपये 6,42,263/- की वसूली क्यों नहीं की जाए। इस बीच, याचिकाकर्ता द्वारा 2013 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 23380 वाली एक रिट याचिका पर इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा सुनवाई की गई और एक आदेश दिनांकित 09.01.2023 जिसके द्वारा और जिसके तहत, याचिकाकर्ता को उपदान राशि से की जा रही वसूली के संबंध में अपनी शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिवादी अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

5. याचिकाकर्ता ने तब अधीक्षक अभियंता, कमान क्षेत्र विकास मंडल, मुज़फ़्फ़रपुर के समक्ष 07.02.2023 को एक प्रतिवेदन दायर किया था, हालाँकि, इसे दिनांकित 02-06-2023 के एक आदेश द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने एक नियमित कर्मचारी को दैनिक मजदूरी के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से सभी स्वीकार्य लाभों का लाभ उठाया है, यानी 25.10.1983 से 06.10.1993 तक के प्रभाव से, हालाँकि उनकी सेवाओं को 07.10.1993 से प्रभावी रूप से नियमित किया गया था, इसलिए कार्यकारी अभियंता, कमान क्षेत्र विकास प्रभाग, बेतिया द्वारा निर्गत दिनांकित 27-09-2021 के आदेश में कोई अवैधता नहीं है, जिसके तहत यह निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता को भुगतान की गई वेतन की अतिरिक्त राशि, जो कि 25.08.1983 से 31.10.2020 तक कुल मिलाकर रु. 6,42,263/- की राशि है, याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी के शीर्ष पर देय राशि से काट ली जाए, जिसके बाद ग्रेच्युटी की शेष राशि, यानी रु. 1,08,000 की राशि और रु. 5,55,750 की छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान याचिकाकर्ता को किया जाए।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि चूंकि याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलत निरूपण नहीं किया गया है, जिससे उसे अधिक वेतन का भुगतान किया जा सकता है, इसलिए याचिकाकर्ता से कोई वसूली नहीं की जा सकती है, विशेष रूप से उसकी सेवानिवृत्ति के बाद जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **(2015) 4 एस.**

सी. सी. 334 में **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह** के बाद में दिए गए एक निर्णय में व्यक्त किया गया है।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने वर्तमान मामले में दायर जवाबी हलफनामे का उल्लेख करते हुए समर्पित किया है कि याचिकाकर्ता और चार अन्य कर्मचारी शुरू में अलग-अलग तिथियों पर दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के रूप में कार्यरत थे और जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, वह 25.08.1993 को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था, जिसके बाद उक्त कर्मचारियों ने 1989 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या. 4587 वाली एक रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का रुख किया था, जिसे 18.02.1991 के एक आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी और इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक बरकरार रखा गया था, जिससे याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों की सेवाओं को नियमित किया गया था। जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, उसे दिनांक 07.10.1993 के एक आदेश द्वारा नियमित किया गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता कानूनी रूप से एक नियमित कर्मचारी के रूप में शामिल होने की वास्तविक तारीख से सेवा लाभ प्राप्त करने का हकदार है, यानी 07.10.1993 के प्रभाव से और दैनिक मजदूरी के आधार पर उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नहीं, यानी 25.08.1983 से। फिर भी, याचिकाकर्ता 25.08.1983 के प्रभाव से एक नियमित कर्मचारी को स्वीकार्य सभी लाभ प्राप्त करने में कामयाब रहा। मामले के ऐसे दृष्टिकोण में प्रत्यर्थी नं 3, दिनांकित 21-08-2020 के पत्र के माध्यम से, संबंधित कार्यकारी अभियंता को याचिकाकर्ता के नियमितीकरण की तारीख 07-10-1993 के रूप में विचार करने का निर्देश दिया गया था और तदनुसार 7वें वेतन संशोधन के अनुसार वेतनमान को संशोधित करें और साथ ही उस अवैधता को भी ठीक करें जो वेतन के निर्धारण में आई है, जिससे उसे अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जा रहा है। वास्तव में, याचिकाकर्ता को दैनिक मजदूरी पर काम करने की अवधि अर्थात् 25.08.1983 से 07.10.1993 तक के लिए एक नियमित कर्मचारी के समान सभी लाभ भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका की जिला लेखा अधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया द्वारा जांच की गई थी, वेतन को फिर से तय किया गया था और याचिकाकर्ता को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि के संबंध में गणना की गई थी, जो कुल रु. 6,42,263 की राशि है, इस प्रकार दिनांकित 16.09.2021 के कारण बताओ सूचना जारी करने और 21.09.2021 को याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाब पर विचार करने के बाद, एक तर्कपूर्ण आदेश दिनांकित 27.9.2021 और 2.6.2023 पारित किया गया है, जो वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की ओर से गलत प्रस्तुति, जिससे

याचिकाकर्ता को वेतन की कथित अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया। इसके अलावा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, बिना संख्या के कई बार, इस आशय के कानून के सुव्यवस्थित सिद्धांत को दोहराया है कि याचिकाकर्ता जैसे व्यक्तियों से कोई वसूली नहीं की जा सकती है, जो पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके हैं क्योंकि न तो कोई गलत विवरण दिया गया है और न ही उनके द्वारा कोई धोखाधड़ी की गई है, जिससे वेतन की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है, जबकि यह प्रतिवादी अधिकारियों की लापरवाही और कमियाँ हैं जिसके कारण वेतन का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। वर्तमान मामला रफीक मसीह (ऊपर) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नवीनतम निर्णय द्वारा पूरी तरह से शामिल किया गया है, जिसका पैराग्राफ-18 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“18. उन सभी कठिनाइयों की स्थितियों को अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है जो कर्मचारियों को वसूली के मुद्दे पर नियंत्रित करती हैं, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से भुगतान किया गया है, जो उनकी पात्रता से अधिक है। ताकि, जैसा भी हो, ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश दे सकें, जिनमें नियोक्ताओं द्वारा वसूली, कानून में अस्वीकार्य होगी:-

(i) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (या समूह सी और समूह डी सेवा) के कर्मचारियों से वसूली।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों, या उन कर्मचारियों से वसूली जो वसूली के आदेश के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, से

(iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच साल से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।

(iv) ऐसे मामलों में वसूली जहां एक कर्मचारी को गलत तरीके से एक उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आदेशित किया गया है, और उसी के अनुसार भुगतान किया गया है, भले ही उसे किसी निम्न पद के खिलाफ काम करने के लिए उचित रूप से आदेशित किया गया हो।

(v) किसी भी अन्य मामले में, जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमाना होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक भारी होगी।

9. इस न्यायालय ने आगे पाया कि वसूली के सम्बन्ध में कानून अब रेस इंटेग्रा नहीं है एवं (2009) 3 एस. सी. सी. (सैयद कादिर बनाम बिहार राज्य); (1995) पूरक/1 एससीसी 80 (साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य); (1994) 2 एससीसी 52 (श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ); (1997) 6 एससीसी 139 (बी. गंगा राम बनाम। क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक); (2006) 11 एससीसी 492 (पुरुषोत्तम लाल दास बनाम बिहार राज्य); (2000) 10 एससीसी 99 (बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम बिजय बहादुर); (2006) 11 एससीसी 7089 (बीजे अक्कारा बनाम भारत सरकार विश्वविद्यालय); (1995) पूरक 1 एस. सी. सी. 18 (साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य) और (2015) 4 एस. सी. सी. 334 (पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह) में रिपोर्ट किया गया निर्णयों के एक श्रृंखला में अच्छी तरह तय किया गया है।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि चूंकि याचिकाकर्ता 31.10.2020 को सेवानिवृत्त हो गया है और इसके अलावा, प्रतिवादी यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार की गलत प्रस्तुति में शामिल था, जिससे उसे कथित अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया गया था, कोई भी वसूली याचिकाकर्ता के पेंशन बकाया से नहीं किया जा सकता है, इसलिए कार्यकारी अभियंता, कमान क्षेत्र विकास प्रभाग, बेतिया द्वारा पारित दिनांक 27.09.2021 का विवादित आदेश और साथ ही अधीक्षक अभियंता, कमान क्षेत्र विकास मंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित 02.06.2023 का आदेश भी कानून की नजर में सही नहीं है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाता है। नतीजतन, उत्तरदाताओं को रुपये 6,42,263/- की उपरोक्त राशि याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति के दो सप्ताह की अवधि के भीतर वापस करने का निर्देश दिया जाता है, यदि वह याचिकाकर्ता से पूर्व में वसूल कर ली गई हो।

11. रिट याचिका की अनुमति है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

कंचन।/-

खंडन (डिस्कलेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।